



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-21072025-264848
CG-TL-E-21072025-264848

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3204]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 18, 2025/आषाढ़ 27, 1947

No. 3204]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 18, 2025/ASHADHA 27, 1947

रेल मंत्रालय
(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 15 जुलाई 2025

का.आ. 3274(अ).—रेलवे अधिनियम 1989 (1989 का 24), की धारा 20ए की उप-धारा (I) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित), केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में औरंगाबाद - अंकाई के बीच रेलपथ दोहरीकरण के निष्पादन के लिए आवश्यक है, एतद्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने की अपनी इच्छा की घोषणा करता है।

उक्त भूमि में हितप्रद्ध कोई भी व्यक्ति, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा(I) के अंतर्गत उपर्युक्त उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग के संबंध में सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर भू-अर्जन में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप कलक्टर भूमि अधिग्रहण, औरंगाबाद जिला को लिखित रूप में दी जाएगी और उसके आधारों को निर्धारित की जाएगी तथा सक्षम प्राधिकारी उप कलक्टर भूमि अधिग्रहण, औरंगाबाद जिला आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद तथा आगे ऐसी जांच करने के बाद, यदि सक्षम प्राधिकारी यह आवश्यक समझता है तो वह किसी आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 20(डी) की उप-धारा (II) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी का कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत शामिल की गई भूमि की भू-योजनाएं और अन्य विवरण उक्त सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध हैं तथा इच्छुक व्यक्ति द्वारा इनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् औरंगाबाद - अंकाई दोहरीकरण के लिए किसी संरचना सहित या उसके रहित अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण.

भूमि अधिग्रहण का विवरण – औरंगाबाद जिले में यात्री और माल सुविधा के लिए औरंगाबाद - अंकाई दोहरीकरण परियोजना.

राज्य : महाराष्ट्र

जिला : औरंगाबाद

क्रम सं.	भूमिधारक का नाम	सर्वे सं. / गट सं.	अधिग्रहण किया जाने वाला अनुमानित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	7/12 के अनुसार भूमि अधिग्रहण का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	मामले का विवरण
तालुका : गंगापुुर				गाँव : एकभुर्जी वाघलगांव	
1	संतोष स्वरुपचंद सुलाने	39/1	0.50 आर	0.42.00	मामला सं.ओडब्ल्यू.2025/ उप जिला कलक्टर एलए/रेलवे एलए/एआर सं./कावी - 320
	चरणसिंग कप्पूसिंग काकरवाळ			1.07.00	
	चंपालाल कप्पूसिंग काकरवाळ			0.20.00	
	राजु किसन सुलाने			0.50.00	
	विजय किसन सुलाने			0.50.00	
	बजरंग किसन सुलाने			0.69.00	
2	महेश भाऊसाहब बनसोड	39/2		1.15.00	
	सरलाबाई भाऊसाहेब बनसोड			1.15.00	
	विनोद रामराव बनसोड			1.14.00	
	प्रमिला रामराव बनसोड			1.15.00	
तालुका : वैजापुर				गाँव : शाहनवाजपुर	
1	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण-I) नांदेड, मध्य रेलवे	23	2.00 हेक्टेयर	0.82.00	मामला सं.ओडब्ल्यू.2025/ उप जिला कलक्टर एलए/रेलवे एलए/एआर सं./कावी - 322
	जसवीर साहेबराव कुर्हाडे			1.61.00	
	नलिनीबाई साहेबराव कुर्हाडे			1.60.00	
	भरतकुमार मणिकचंद पाटणी			0.75.00	
	संपादित क्षेत्र			0.50.00	
2	पोपट माणिकराव बनसोड	42		1.14.00	
	सुदाम रामराव हजारे			0.40.00	
	गीताबाई गोरख भोसले			1.20.00	
3	केसरसिंग दोलत बहुरे	40		3.01.00	
	गोरखसिंग आसाराम बहुरे			1.29.00	

	गोरखनाथ आनंदा गायकवाड			1.17.00	
	शिलाबाई मच्छिंद्र बारसे			0.83.00	
	लक्ष्मीबाई त्रिंबक गायकवाड विनोद त्रिंबक गायकवाड सोनाली भाऊसाहेब गायकवाड -सामान्य क्षेत्र-			1.18.00	
	कमलबाई रुपचंद कवाळे धनराज रुपचंद कवाळे अनिता लालचंद ठाकुर संतोष रुपचंद कवाळे कैलास रुपचंद कवाळे -सामान्य क्षेत्र			0.78.00	
	साहेबराव बापुराव कुर्हडे			1.54.00	
	मंदाबाई काकासाहेब गायके			0.88.00	
	पुरुषोत्तम नारायण राहते			0.80.00	
4	कैलास नारायण राहते	34		0.77.00	
	कौसाबाई शिवसिंग बिघोत			0.80.00	
	मुरारीलाल नारायण रत्नानी विनोद मुरारीलाल रत्नानी हरेस मुरारीलाल रत्नानी सुरेश मुरारीलाल रत्नानी -सामान्य क्षेत्र			2.00.00	
5	रामराव काशीनाथ हजारे	41		0.86.00	
6	सुरेश खंडेराव बनसोड	43		1.33.50	
	सतीश खंडेराव बनसोड			1.33.50	
7	लक्ष्मण रामराव कापसे	44		5.32.00	
तालुका : गंगपुर				गाँव : करंजगांव	
1	वसंत विठ्ठल काळगे	9	0.20 आर	1.42.00	मामला सं.ओडब्ल्यू.2025/ उप जिला कलक्टर एलए/रिलवे एलए/एआर सं./कावी - 321
	अशोक विठ्ठल काळगे			0.41.00	
	नामदेव अशोक काळगे			0.51.00	
	ज्योती चांगदेव काळगे वेदीका चांगदेव काळगे अभिभावक माता ज्योती चांगदेव काळगे ओम चांगदेव काळगे			0.51.00	

	अभिभावक माता ज्योती चांगदेव काळगे -सामान्य क्षेत्र-				
	राजू तुलसीराम काळगे			0.71.00	
	गंगाधर तुलसीराम काळगे			0.71.00	
2	सरकारी	6		17.15.00	

[फा. सं. E-313959/20A/150725/1]

हेमंत कुमार भगोरिया, मुख्य इंजीनियर / निर्माण-V

MINISTRY OF RAILWAYS
(SOUTH CENTRAL RAILWAY)

NOTIFICATION

Secunderabad, the 15 July, 2025

S.O.3274(E).— in exercise of the power conferred by sub-section (I) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereafter referred as in as the said Act), central government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the special railway project, Aurangabad – Ankai in Aurangabad district in the state of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land:

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub- section (1) of section 20D of the said act:

Every such objection shall be made to the competent authority, namely Dy. Collector Land Acquisition, Aurangabad district in writing and shall be set out the grounds there of and the competent authority Dy. Collector Land Acquisition, Aurangabad district shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by, order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the special railway project namely – Aurangabad – Ankai Doubling in the state of Maharashtra.

Description of Land in Acquisition: - project of Aurangabad – Ankai Doubling Dist.- Aurangabad for passenger and freight facility.

State: Maharashtra

Dist.: Aurangabad

S. No.	Name of Land Holder	Survey No./ Gut No.	Approximate Land to be Acquired (HR)	Land Acquisition Area as per 7/12 (Hectare)	Details of the case
Taluka: Gangapur			Village: Ekbhurji Waghalgaon		
1	Santosh Swarupchand Sulane	39/1	0.50 R	0.42.00	

	Charansingh Kappusing Kakarwal			1.07.00	Case No. OW.2025/ Dy. District Collector LA/RLY LA/AR No/kavi-320		
	ChampalalKappusing Kakarwal			0.20.00			
	Raju Kisan Sulane			0.50.00			
	Vijay Kisan Sulane			0.50.00			
	Bajrang Kisan Sulane			0.69.00			
2	Mahesh Bhausahab Bansod	39/2		1.15.00			
	Sarlabai Bhausahab Bansod			1.15.00			
	Vinod Ramrao Bansod			1.14.00			
	Pramila Ramrao Bansod			1.15.00			
Taluka: Vaijapur				Village: Shahnawajpur			
1	Deputy Chief Engineer (Construction 1) Nanded Central Railway	23	2.00 H.R	0.82.00	Case No. OW.2025/ Dy. District Collector LA/RLY LA/AR No/kavi-322		
	Jasbir SahebraoKurhade			1.61.00			
	Nalinibai Sahebrao Kurhade			1.60.00			
	Bharatkumar Manikchand Patni			0.75.00			
	Edited Area			0.50.00			
2	Popat Manikrao Bansod	42		1.14.00			
	Sudam Ramrao Hazare			0.40.00			
	Geetabai Gorakh Bhosale			1.20.00			
3	Kesarsing Dolat Bahure	40		3.01.00			
	Gorakhsing Asaram Bahure			1.29.00			
	Gorakhnath Ananda Gaikwad			1.17.00			
	Shilabai Machhindra Barse			0.83.00			
	Laxmibai Trimbak Gaikwad Vinod Trimbak Gaikwad Sonali Bhausaheb Gaikwad -Common Area			1.18.00			
	Kamalbai Rupchand Kavale Dhanraj Rupchand Kavale Anita Lalchand Thakur Santosh Rupchand Kavale Kailas Rupchand Kavale -Common Area-			0.78.00			
	Sahebrao Bapurao Kurhade			1.54.00			
	Mandabai Kakasaheb Gaike			0.88.00			
	4			Purushottam Narayan Rahte		34	0.80.00
				Kailas Narayan Rahte			0.77.00
Kausabai Shivsing Bighot		0.80.00					

	Murarilal Narayan Ratnani Vinod Murarilal Ratnani Hares Murarilal Ratnani Suresh Murarilal Ratnani -Common Area-			2.00.00					
5	Ramrao Kashinath Hazare	41		0.86.00					
6	Suresh Khanderao Bansod	43		1.33.50					
	Satish Khanderao Bansod			1.33.50					
7	Laxman Ramrao Kapse	44		5.32.00					
Taluka: Gangapur			Village: Karanjgaon						
1	Vasant Vitthal Kalge	9	0.20 R	1.42.00	Case No. OW.2025/ Dy. District Collector LA/RLY LA/AR No/kavi-321				
	Ashok Vitthal Kalge			0.41.00					
	Namdev Ashok Kalge			0.51.00					
	Jyoti Changdev Kalge Vedika Changdev Kalge Minor Gardian Mother Jyoti Changdev Kalge Om Changdev Kalge Minor Gardian Mother Jyoti Changdev Kalge -Common Area-			0.51.00					
	Raju Tulshiram Kalge					0.71.00			
	Gangadhar Tulshiram Kalge					0.71.00			
	2			Government		6		17.15.00	

[F. No. E-313959/20A/150725/1]

HEMANT KUMAR BHAGORIA, Chief Engineer/Con-V